अपील संख्या – 03/99/225 आर टी ए

1. केसरा पुत्री श्री सुरजा जाति जाट निवासी चक 25 आरडबल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (फौत)।

1/1 शांति पत्नि
1/2 चमेली पुत्री
1/3 सीता पुत्री
1/4 मंगतु पुत्र
1/5 सतपाल पुत्र

केसराराम जाति जाट निवासी चक 25 आरडबल्यूडी हाल गांधीनगर, रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़

1/6 दीपचंद पुत्र सरस्वती पुत्री केसराराम जाति जाट साकिन चक 25 आरडबल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

1/7 कालू पुत्र सरस्वती पुत्री केसराराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सरस्वती जाति जाट साकिन 25 आरडबल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांटस

बनाम्

1. सोहनलाल
2. लालाराम
3. महेन्द्र

पिसरान मुन्शी जाति जाट साकिन चक 25 आरडबल्यूडी, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़

4. ओमप्रकाश पुत्र मुन्शी जाति जाट साकिन मौजूवाली ढ़ाणी गन्धेली तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़।

5. धर्मपाल पुत्र भागा
6. कृष्ण पुत्र भागा
7. विनोद कुमार पुत्र भागा
8. कलावती बेवा भागा
9. सीतारानी पुत्री भागा

जाति जाट साकिन मौजूवाली ढाणी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

10. विद्या पुत्री श्योचन्द
11. कमला पुत्री श्योचन्द
12. राजा पुत्र श्योचन्द
13. रामप्यारी पुत्री श्योचन्द
14. लिच्छी पुत्री श्योचन्द
15. रोशनी पुत्री श्योचन्द

जाति जाट साकिन मौजूवाली ढाणी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

16. लालचन्द पुत्र श्री बीरू जाति जाट साकिन मौजूवाली ढाणी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

—रेस्पो0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 29.06.1988 न्यायालय सहायक कलक्टर रावतसर
प्रकरण संख्या 239/1997 बअनवानी श्योचन्द बनाम स्टेट

उपस्थित :–
श्री विजय कौशिक, अधिवक्ता अपीलांट
श्री शंकर सोनी अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 16

राजस्व अपील प्राधिकारी

निर्णय दिनांकः—15.02.2019

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 एएए के तहत श्योचन्द—मुन्शीराम पि0 बीरूराम को प्रश्नगत भूमि कीमतन खातेदारी देने के आदेश पारित किये हैं। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट नें यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि यह अपील सहायक कलक्टर रावतसर के निर्णय दिनांक 29.06.1988 के विरूद्ध पेश की गई है। लालचन्द के पक्ष में धारा 15 एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत भूमि आवंटन का आदेश हुआ। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 15.10.1955 को लागू हुआ। इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही श्योचन्द, मुन्शी पि0 बीरूराम व केसराराम भागा पि0 सुखा के कब्जा काश्त में चली आ रही थी, परन्तु गलती से मिसल 239/72 आदेश 20.7.1972 से लालचन्द का नाम अंकित कर आवंटित कर दिया। आवंटन में श्योचन्द, मुन्शी के साथ लालचंद का नाम नहीं आना चाहिए था। सहायक कलक्टर रावतसर के निर्णय दिनाक 06.04.1976 से लालचन्द का आवंटन से नाम डिलीट कर दिया और लालचन्द को चक 25 आरडब्ल्यू डी के पत्थर नं. 233/422, 233/423 की कुल 17 बीघा 6 बिस्वा भूमि आवंटित कर दी जिसकी खातेदारी लालचन्द ने ले ली थी। इस भूमि से चिपती 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्मॉल पेच में आवंटित भी करवा ली थी। अपीलाधीन निर्णय द्वारा नाम डिलीट की गई भूमि में पुनः लालचन्द ने अपना नाम दर्ज करवा लिया। नाम डिलीट करने के बारे में उसी सहमति के हस्ताक्षर हैं अतः वह एस्टोपल है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार केसरा व भागसिह के बयान के अनुसार लालचन्द का भी संयुक्त खाते की भूमि में कब्जा था। उसी कब्जा के अनुसार लालचन्द को आवंटन हुआ है, सही है। अपीलाण्ट स्वयं आवंटन एवं खातेदारी की सभी कार्यवाही में शामिल रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी थी। इसके अतिरिक्त सभी पक्षकारों को जानकारी थी। अपील मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश की गई है। इसके बावजूद अपील 10 वर्ष बाद पेश की गई है जो मियाद बाहर है। अपील मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश की गई है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 29.06.1988 से राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

या प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में प्रस्तुत आवेदन को धारा 15एएए (3) के अन्तर्गत माना जाकर आवंटन पत्रावली प्री–55 सं0 1351/71 शामिल कर चक 25 आर डब्ल्यू डी की 84 बिघा 18 बिस्वा जिसमें 44 बिघा 18 बिस्वा क0 व 40 बिघा अनकमाण्ड व गन्धेली बारानी की 5 बीघा कुल 84 बीघा 18 बिस्वा की 15.10.1955 से पूर्व में श्योचन्द, मुन्शीराम, लालचन्द, बीरूराम, केसरा, भागा पि0 सुरजा जाट की आरजी काश्त पर आवंटित होने पर चक 25 आर डब्ल्यू डी व गन्धेली बारानी की कुल 44 बिघा 18 बिस्वा कमाण्ड व 45 बिघा अ0 क0 में से 25 बिघा कमाण्ड निःशुल्क खातेदारी व शेष 19 बिघा 18 बिस्वा क0 व 45 बिघा अ0 क0 किमतन खातेदारी दी गई है। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है। अपील में अपीलान्ट का यह कथन आया है कि भूमि वादग्रस्त 15.10.1955 से पूर्व से ही श्योचन्द, मुन्शीराम, पि0 बीरू व केसरा, भागा के कब्जा काश्त में रही थी परन्तु सहवन से मि0 न0 239/72 आदेश दिनांक 21.07.1972 से लालचन्द का भी नाम मुश्तर्का खाता में अंकित कर भूमि विवादग्रस्त बाबत् आवंटन आदेश जारी हो गया था जिसकी दुरूस्ती सहा0 कलक्टर रावतसर द्वारा मिसल नम्बर 239/87 में कर दिया गया एवं लालचन्द का नाम डिलेट कर दिया गया इसके स्थान पर लालचन्द ने चक 25 आर डब्लयू डी के मु0 न0 233/422 व 233/423 की कुल 17 बिघा 06 बिस्वा भूमि आवंटित करवा ली जिसका विवरण पत्रावली संख्या 1370 प्री–55 में दर्ज है जिसकी खातेदारी भी उसके द्वारा प्राप्त कर ली गई इसलिये अपीलाधीन निर्णय से रेस्पो0 संख्या 16 लालचन्द को प्रश्नगत भूमि में अपीलाधीन निर्णय से गलत खातेदारी दिये जाने का कथन करते हुए लालचन्द की हद तक अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने का कथन किया गया है अपीलान्ट के कथनों की पुष्टि अपील में प्रस्तुत प्रमाणित प्रति निर्णय दिनांक 06.04.1976 से एवं विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ सलंग्न पत्रावली संख्या 239 दिनांक 29.06.1987 व उसके साथ सलंग्न पत्रावली संख्या 1370/71 निर्णय दिनांक 06.04.1976 में यह अंकित है कि लालचंद का मुस्तर्का हिस्सा गलती से दिखाया गया था क्योंकि लालचन्द के नाम न ही फिटिंग थी व न ही कब्जा काश्त था वास्तव में रकबा संवत् 2017 तक मुस्तर्का में थे तथा फिटिंग में अकेले के नाम से आ गई थी। लालचन्द का नाम डिलिट किये जाने का आदेश दिया गया है यही आदेश पत्रावली संख्या 239/87 में किया गया है। उक्त आदेशो पर रेस्पोडेन्ट संख्या 16 लालचन्द के हस्ताक्षर है। उक्त आदेश आज दिनांक तक बहाल है जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि अपीलाधीन निर्णय में रेस्पो0 संख्या 16 लालचन्द का नाम गलत रूप से अंकित हुआ है नये आवंटन नियमो के अन्तर्गत रिओपन के समय नियमानुसार कार्यवाही होगी जिसमें लालचन्द का नाम मुस्तर्का खाते में नहीं माना जाकर आवंटन की कार्यवाही की जावे

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की भूमि आवंटित किए जाने का आदेश पारित हो गया जबकि उपरोक्त आदेशो की वास्तव में रेस्पो0 संख्या 16 लालचन्द के अलावा शेष श्री श्योचंद मुन्शीराम पि0 बीरू व केसरा, भागा पि0 सुरजा को ही प्रश्नगत भूमि का आवंटन होना चाहिए था। इस कारण अपीलाधीन निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता है उक्त विवेचना अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अपीलाधीन निर्णय काबिल अपास्त है।

अतः उक्त विवेचना अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.06.1988 से रेस्पो0 संख्या 16 लालचन्द को किए गये आवंटन को निरस्त किया जाता है एवं चक 25 आर डब्ल्यू डी एवं गन्धेली बारानी की अपीलाधीन निर्णय में वर्णित भूमि बाबत चूँकि श्योचन्द मुन्शीराम पि0 बीरू व केशरा, भागा पि0 सुरजा जाति जाट साकिन गांधीनगर तहसील रावतसर फौत हो चुके है इसलिए उसके वारिसान अपीलान्ट संख्या 1/1 से 1/7(वारिसान केसरा) रेस्पो0 संख्या 10 ता 15 (वारिसान श्योचंद) रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 (वारिसान मुन्शी) रेस्पो0 संख्या 5 ता 9 (वारिसान भागा) के नाम नियमानुसार संशोधित खातेदारी आदेश प्रसारित करने हेतू प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकारान 25.03.2019 को उपस्थित हो।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Web Copy - Not Official

15/2/19

मूल चन्द (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील प्राधिकारी

हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)